

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान

बच्चू

बनाम

राज0 सरकार

किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र 136 इन्द्राज दुररुस्ती

प्र0 सं0 22/2021

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

21.09.2021

अधिवक्ता वादी श्री राकेश जैमन एड0. उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार नांगल राजावतान को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 20.10.2021 को पेश हों।

प्रस्तावना गाँवों के लिए अधिवक्ता-2021

21/9/21 218 27/9/21


14/10/2021

पत्रावली पत्रावली गाँवों के लिए अधिवक्ता, हुक्मी में पेश हुई। उषा वकील व परीक्षक सरकार उपस्थित। उषा वकील परीक्षक सरकार के अलावा उषा वकील पेश किया व दुररुस्ती किम जर्म का निर्वादन किया।

पत्रावली का व परीक्षक सरकार के अलावा व फर्दवाली का आवलोकन किया, पत्रावली पद उपलब्ध फर्दवाली के आधार पर उम्मेद श्रमि के राजाज रिपोर्ट जमाबंदी संख्या 2049-52 व बागावताना संख्या 62 ग्राम जलियारा में उषा के पिता की जाति कुंडरा दर्ज है लेकिन वह में गलती से उनकी जाति मुंडरा दर्ज हो गयी जो परीक्षक सरकार ने रिपोर्ट में भी लिखा है किम पर पत्रवादी हल्का हुक्मी अ. म. नि. सारदा के भी हस्ताक्षर हैं, ऐसी स्थिति में दुररुस्ती किया जाना न्यायोचित है।

अतः उषा का उषा वकील द्वारा दुररुस्ती इन्द्राज उपखण्ड अधिकारी नांगल एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट नांगल राजावतान (दौसा)

स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि संख्या नं. 1238/9  
 संख्या 0.5 है 100 वर्ग गज का खरियारा तहसील नांगल राजावतान के  
 राजास, रिकार्ड में दर्ज है। धाड़र पुत्र सुथालाल जाति कुण्डरा साईदे  
 के स्थान पर दुरस्ती करके धाड़रलाल पुत्र सुथालाल, जाति कुण्डरा  
 सा. है दर्ज करने के आदेश, तहसीलदार नांगल राजावतान को  
 दिया जाते हैं। पश्चात् फल श्रुत होकर तहसील से क्रम ही  
 निर्णय में द्वारा लिखाया जाकर पश्चात् जांच के लिये  
 अधिसूचना भुमडी में सुनाया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
 नांगल राजावतान (दोसा)